

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
औंकारराम प्रभूराम पूसाराम मुलीदेवी मोहनीदेवी सुवादेवी पि. घीसाराम जाति जाट सा. मांगलोदी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 19 /2024 GCMS No. 2024/41

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

21/02/2024 वादी/प्रार्थीगण औंकारराम प्रभूराम पूसाराम मुलीदेवी मोहनीदेवी सुवादेवी पि. घीसाराम जाति जाट सा. मांगलोदी द्वारा " प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत सरगोठ में प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्बत 2075-2078 ग्राम मांगलोदी के खाता संख्या 66, 84 की नकल प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थीगण का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि औंकारराम प्रभूराम पूसाराम मुलीदेवी मोहनीदेवी सुवादेवी पि. घीसाराम जाति जाट सा. ठाणा दर्ज है, जो अशुद्ध है।

प्रार्थी का शुद्ध नाम औंकारराम प्रभूराम पूसाराम मुलीदेवी मोहनीदेवी सुवादेवी पि. घीसाराम जाति जाट सा. मांगलोदी है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी सरगोठ भू.अ.नि. मण्डावरा तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादीगण का ग्राम ठाणा के स्थान पर मांगलोदी शुद्ध किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात, पटवारी हल्का, नि.भू.अ., तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

